

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी-कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 131 /2017

प्रार्थी
“आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड”
(जो पूर्व में “ए.यू. हाउसिंग
फाईनेन्स लिमिटेड” के नाम से
जाना जाता था) जिसका मुख्य
व्यावसायिक कार्यालय 201-202,
2 द्वितीय तल, साउथ एंड
स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल
एरिया, जयपुर-302020 में स्थित
व कार्यरत है।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री लिखमा राम सारस्वत पुत्र श्री भंवर लाल सारस्वत
पता-69 बोडवा, तहसील जायल, जिला नागौर राज0,
दूसरा पता-गजानन स्टोर कला उद्योग, जायल
डीडवाना सड़क, जिला नागौर राजस्थान, तीसरा
पता-1/214 व 1/215, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी,
जिला नागौर, राजस्थान
2. श्रीमति कान्ता पत्नी श्री लिखमा राम सारस्वत,
पता-69 बोडवा, तहसील जायल, जिला नागौर राज0
3. श्री रमेश कुमार ओझा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ओझा,
पता-247, पोन्दर जाटों का बास, धाननिया, बचवारी,
तहसील डेगाना, जिला नागौर राजस्थान।

आदेश

दिनांक: 13.11.2017


प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये 9,50,000/- (अक्षरे नो लाख पचास हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 08.07.2015 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति - श्री लिखमाराम सारस्वत पुत्र श्री भंवरलाल सारस्वत की सम्पत्ति जो 1/214 व 1/215 हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी, जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 59.06 वर्ग मीटर प्रति सम्पत्ति है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 31.05.2017 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ ऋणी के ऋण खाते में रूपये 9,45,475/- (अक्षरे नो लाख पैंतालिस हजार चार सौ पिचहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 08.06.2017 तक तथा दिनांक 09.06.2017 से आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/ अप्रार्थी को दिनांक 10.06.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राज0)



ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 9,45,475/- (अक्षरे नो लाख पैंतालिस हजार चार सौ पिचहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 08.06.2017 तक तथा दिनांक 09.06.2017 से आगे का ब्याज व खर्च अतिरिक्त बकाया को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।


एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :- श्री लिखमाराम सारस्वत पुत्र श्री भँवरलाल सारस्वत की सम्पति जो 1/214 व 1/215 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 59.06 वर्ग मीटर प्रति सम्पत्ति है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 9,50,000/- (अक्षरे नो लाख पचास हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 08.07.2015 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उस आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।


जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राज०)



धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - सम्पत्ति - श्री लिखमाराम सारस्वत पुत्र श्री भेंवरलाल सारस्वत की सम्पत्ति जो 1/214 व 1/215 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 59.06 वर्ग मीटर प्रति सम्पत्ति है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(कुमार पाल गौतम)

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट

नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राज०)